तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3948/2005/गंगानगर जगदीश बनाम लाजवन्ती	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित

श्री प्रदीप विश्नोई, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री एन.के.गोयल, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 5 से 14

निर्णय

दिनांकः– 17–06–2022

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–7–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 को खारिज किया है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन दावे की कार्यवाही में न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे व प्रतिदावे में वर्णित तथ्यों को नजरन्दाज कर दावे की कार्यवाही में तनकी बनाई गई है। इसके अतिरिक्त जानबूझकर प्रतिदावे में कोई तनकी नहीं बनाई गई है। आगे कहा कि प्रतिदावे में स्पष्ट कर दिया कि प्रार्थीगण ने आराजी को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख क्रय की है, जिसको प्रार्थीगण प्रतिदावे के द्वारा अलग खाता कायम करने का अधिकारी है। उनका कहना है कि मौखिक साक्ष्य होने के बाद विवाद्यक का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। उनका तर्क है कि यदि नये विवाद्यक निर्धारित किए जाते है तो पूर्व में निर्धारित विवाद्यक के विपरीत तनकी कायम नहीं की जा सकती। उनका यह भी तर्क है कि विधिक प्रावधानों के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3948/2005/गंगानगर जगदीश बनाम लाजवन्ती	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अनुसार अतिरिक्त तनकीयात बनाये जाने का प्रावधान है और प्रतिदावा में इसका कारण भी प्रार्थीगण द्वारा दिया गया है। इसके अतिरिक्त अतिरिक्त तनकीयात बनाये जाने का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। अन्त में उन्होंने निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित निर्णय को निरस्त करते हुए दो अतिरिक्त तनकीयात बनाये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत है। इसके अतिरिक्त आक्षेपित आदेश को अन्यथा सिद्ध करने बाबत प्रार्थीगण ने निगरानी में किन्हीं नवीन तथ्यों का समावेश नहीं किया है, इस कारण आक्षेपित आदेश अहस्तक्षेपनीय है। अन्त में उन्होंने निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा उपलब्ध दस्तावेज व आक्षेपित आदेश का अवलोकन व अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 सीपीसी को आदेश दिनांक 15–7–2005 द्वारा खारिज किया है, उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक कायम किए जाते है और उन बिन्दुओं पर ही मामले का निस्तारण किया जाता है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में 2 नवीन तनकीयात सुझाई गई और विचारण न्यायालय द्वारा यह उल्लेख करते हुए कि प्रतिवादी की साक्ष्य पूर्ण हो चुकी है अतः अब तनकी में संशोधन नहीं किया जा सकता और अब तक प्रतिवादी ने पूर्व में कायम तनकीयों के बारे में आपत्ति नहीं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3948/2005/गंगानगर जगदीश बनाम लाजवन्ती	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की तथा तनकी पर्चे पर उनके हस्ताक्षर भी है। इन आधारों पर प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। लेकिन विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकारान के मध्य वास्तविक प्रश्न का अवधारणा के लिए तनकियात बनाई जाती है। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 ने अपने जवाबदावे के साथ प्रस्तुत प्रतिदावे में उज्र उठाये थे, उनके बारे में कोई तनकी नहीं बनाई गई है। पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर निम्न तनकी बनाई जाती है, जो कि तनकी संख्या 6–ए के बारे में संयोजित की जावेः– ''**आया प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे के साथ प्रतिदावे के पैरा संख्या 4 में वर्णित आराजी सम्पत्ति पर घरेलू बंटवारे के आधार पर काबिजकाश्त है और उसी अनुसार खाता विभाजन कराने के अधिकारी है।** **–जिम्मे प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4**'' यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिवादी की साक्ष्य पूर्व में पेश की जा चुकी है इसलिए इस तनकी की सीमा तक ही प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेगें। अन्य पक्षकार इस तनकी के खण्डन में साक्ष्य पेश करने के लिए स्वतंत्र रहेगे। इस प्रकार यह निगरानी याचिका उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है। उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण वर्ष 2005 से लम्बित है, अतः विचारण न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में अनावश्यक स्थगन नहीं दिया जावे। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 आगामी पेशी पर साक्ष्य पेश करें और उसी आधार पर आगामी 2 पेशियों पर वादी खण्डनस्वरूप साक्ष्य और उसके बाद आगामी 2 पेशियों पर शेष प्रतिवादीगण अपनी साक्ष्य पेश करें। दोनों पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि दिनांक 11–07–2022 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3948/2005/गंगानगर जगदीश बनाम लाजवन्ती	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मण्डल के संबंधित अहलमद को आदेशित किया जाता है कि ऊपर अंकित तिथि से पूर्व प्रकरण का सम्पूर्ण अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जाना सुनिश्चित करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गणेश कुमार)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3948/2005/गंगानगर जगदीश बनाम लाजवन्ती	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए